

प्रेस नोट
थाना एरच झांसी

दिनांक 27.07.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- थाना एरच पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार,
- गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय में किया गया पेश ।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बी.बी.जी.टी.एस. मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना एरच पुलिस द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाँसी द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू (NBW), केस संख्या-910/2025, अपराध संख्या-11/2025, धारा 115(2), 352, 351(3), 74 बीएनएस एवं 7/8 पॉक्सो अधिनियम से संबंधित प्रकरण में वांछित वारंटी अभियुक्त जयचन्द्र पुत्र राजू, निवासी ग्राम देवरा बुजुर्ग, थाना एरच, जनपद झाँसी को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. जयचन्द्र पुत्र राजू नि० देवरा बुजुर्ग थाना एरच जनपद झांसी उम्र करीब 23 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ०नि० श्री जितेन्द्र कुमार सिंह

हे०का० 238 शंकर सिंह

रि०का० तेजवीर सिंह